(b) if so, what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Government have received a letter dated May, 20, 1985 signed by some Members of Parliament regarding M|s Progressive Construction Pvt. Ltd. and its associate Companies. The matter is being looked into by the Reserve Bank of India.

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक की परिसंपत्तियां

2364. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का प्रबन्ध ग्रहण कर लिया हैं ; यदि हां, तो उनके क्या कारण है ;

(ख) उस बैंक की कुल कितनी शाखायें थीं ; और

(ग) प्रबन्ध ग्रहण के समय बैंक की कुल कितनी परिसम्पत्ति थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि०, नई दिल्ली का अधिग्रहण नहीं किया है । अलबत्ता, इस बैंक को केनरा बैंक के साथ मिलाए जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) दिनांक 28 फरवरी, 1985 को लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० की 223 शाखाएं थीं ।

(ग) चूंकि बैंक का अधिग्रहण नहीं किया गया है, अतः यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के अध्यक्ष की बैंक आफ बड़ौदा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

2365. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री बी० सत्य नारायण रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के अध्यक्ष को बैंक आफ बड़ौदा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है; यदि हां, तो लक्ष्मी कमर्शियल बैंक में करोड़ों रुपयों का घोटाला होने के पश्चात् उन्हें पदोन्नत किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा की कुल परिसम्पत्ति कितनी है, और इसकी शाखायें कितनी हैं तथा लक्ष्मी कमर्शियल बैंक की कुल कितनी परिसम्पत्ति थी और उसकी शाखायें कितनी थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) श्री प्रेमजीत सिंह उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे जब उन्हें उनके सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के पद का लियन समाप्त किए बिना दिनांक 6 अगस्त, 1984 से लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 29 अप्रैल 1985 से बैंक ऑफ बड़ौदा का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था ।

सरकार ने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० के नाम स्थगनादेश जारी किया है और सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक को केनरा बैंक के साथ मिलाए जाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा हैं । वित्तीय कुप्रबन्ध के आरोपों का मूल्यांकन वर्तमान प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है ।

(ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को बैंक आफ बड़ौदा की कुल परिसम्पत्तियां, उभयपक्षी मदों को छोड़कर 6051.40 करोड़ रुपए की थीं और दिनांक 28 फरवरी, 1985 को इसकी शाखाओं की संख्या 1811 थी । दिनांक

31 दिसम्बर, 1983 को लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० की कुल परिसम्पत्तियां, उभयपक्षी मदों को छोड़कर, 264.90 करोड़ रुपए की थी और दिनांक 28-2-1985 को इसकी शाखाओं की संख्या 223 थी ।

स्टेट बैंक आफ इंदौर की चांदनी चौक शाखा के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप

2366. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की दिल्ली में चांदनी चौक शाखा के शाखा प्रबन्धक को कितनी राशि का क्लीन ओवर-ड्राफ्ट देने का अधिकार है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त बैंक के शाखा प्रबन्धक ने संजय ट्रेडर्स और नवभारत ट्रेडिंग कम्पनी को 6 लाख रुपये से अधिक राशि के ओवर-ड्राफ्ट दिये हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी के न मिलने तक राशियों का भुगतान न करने के अनुदेश जारी किये हैं और यदि हां, तो इस मामले में इन अनुदेशों को अनुपालन न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1983 में इसी बैंक में 28 लाख रुपये के घोटाले का पता चला था और यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि उक्त बैंक शाखा प्रबन्धक ने कुछ अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय कुछ अनियमितताएं की हैं और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की दिल्ली स्थित चांदनी चौक शाखा के प्रबन्धक को 50 हजार रुपए तक के बेजमानती ओवर ड्राफ्ट मंजूर करने का अधिकार है ।

(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने सूचित किया है कि उक्त शाखा के प्रबन्धक ने मैसर्स संजय ट्रेडर्स तथा मैसर्स नव भारत ट्रेडिंग कम्पनी को 6 लाख रुपए की सीमा के नियमित ओवर ड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने समाशोधन के लिए लम्बित चैकों के बदले भुगतान किए जाने पर रोक नहीं लगाई है । अतः अनुपालन न करने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) यह सही है कि उक्त शाखा में समाशोधन के बदले भुगतान में लगभग 32 लाख रुपए की अनियमितता का पता चला था । अलबत्ता, बैंक ने सूचित किया है कि पूरी रकम की वसूली कर ली गई है ।

(ङ) बैंक के रिकार्ड के अनुसार, चांदनी चौक शाखा में अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई अनियमितता बरती गई प्रतीत नहीं होती ।

मध्य प्रदेश में शराब के ठेकेदारों पर छापे

2367. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर कर्मचारियों ने हाल में मध्य प्रदेश के देशी शराब के ठेकेदारों के परिसरों पर कई बार छापे मारे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन छापों के दौरान भारी मात्रा में काला धन और बेनामी धन पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।